Dr. Madan Paswan.
Class :- B.A. Part -I (Hons. P-I + Sub.).
Topic : Unit - IV th (iii) Harshavardhana.

August 2020 — (1)
Lecture no. 14.
Date : 12.08.2020
From Page no. 1 to 2.

[Continue .....]

राजस्व प्रशासन :-

हर्ष का प्रशासन उदार तथा नरम था। साम्राज्य में बहुत कम कर लगाये गये थे। तीन प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जैसे —

1. भाग,
2. हिरण्य, तथा
3. बलि।

'भाग' भूमि के रूप में लिया जाता था। 'हिरण्य' करों को कृषक या व्यापारी नकद दिया करते थे। 'बलि' के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। सम्भव है कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा हो। 'भाग' राज्य की आय का प्रधान साधन था तथा कृषकों से उनकी उपजों का छठां भाग लिया जाता था। व्यापारियों के व्यापारिक मार्गों, घाटों, बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी कर लगते थे, जिससे राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। राजकीय भूमि से जो आमदनी प्राप्त होती थी, उसे निम्न चार प्रकार से खर्च किया जाता था :—

1. एक भाग धार्मिक और सरकारी कार्यों में।
2. दूसरा भाग राजकीय पदाधिकारियों के ऊपर।
3. तीसरा भाग विद्वानों को पुरस्कार देने में और
4. चौथा भाग विविध सम्प्रदायों को दान देने में खर्च किया जाता था।

ह्वेनसांग बताता है कि यदि किसी शहर या गाँव में कोई गड़बड़ी होती थी तो सम्राट तुरन्त ही वहाँ जाता था। वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष तीनों ऋतुओं में हर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा किया करता था, जहाँ लोग उससे अपने कष्टों के विषय में बताते थे। लेखों से इस प्रकार के दो स्थानों का पता चलता है, जहाँ हर्ष अपनी यात्राओं के दौरान टिका हुआ था —

(क) वर्धमान कोटि : जहाँ से बांसखेड़ा दानपत्र प्रसारित किया गया था।
(ख) कपित्थिका : जहाँ से मधुबन दानपत्र प्रसारित किया गया था।

हर्षकालिन प्रशासनिक शब्दावली

1.	महासन्धि विग्रहाधिकृत	युद्ध एवं शान्ति सचिव
2.	महाबलाधिकृत	सर्वोच्च सेनाध्यक्ष
3.	बलाधिकृत	सेनापति
4.	राजस्थानीय उपारिक	प्रांत अथवा भुक्ति का शासक.
5.	विषयपति	विषय अर्थात् जिले का प्रधान.
6.	श्रेष्टकुलाधिकरण	गाँव का अन्य प्रमुख अधिकारी.
7.	अक्षपटलिक	आधुनिक लेखापाल की तरह गाँव का अधिकारी.
8.	बृहदाश्ववार	अश्वसेनाध्यक्ष
9.	कटुक	हस्ति सेनाध्यक्ष
10.	चाट-भाट	वैतनिक तथा अवैतनिक सैनिक
11.	दूत-राजस्थानीय	पर-राष्ट्रमन्त्री
12.	आयुक्तक	साधारण अधिकारी

[Conti...]

13.	मीमांशक	: न्यायाधीश
14.	महाप्रतिहार	: राजप्रासाद का रक्षक
15.	भौतिक अथवा भोगपति	: उपज का राजकीय भाग वसूल करने वाले.
16.	कर्णिक	: साधारण कोटि का लिपिक.
17.	दीर्घद्वग	: तीव्रगामी संवाहक.
18.	असपटलिक	: लेखा-जोखा रखने वाला लिपिक.
19.	अध्यक्ष	: विभिन्न विभागों का सर्वोच्च अधिकारी.
20.	ग्राम चेटी	: रात में पहरा देने वाली स्त्री.

[Continue.....]

Dr. Madan Paswan, Lecture no. 14 (History)
Date : 12.08.2020.